

बिहार सरकार  
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

भू-अर्जन प्रशाखा

अधिसूचना

पठ सं 14 / डी० एल० ए० (एस० एच०-८७) सीतामढ़ी-213 / 12-75/रा०,पटना-15, दिनांक-10/01/2013  
संख्या-...../ डी० एल० ए०, सीतामढ़ी-...../रा०,पटना,दिनांक-.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि -मसहा, थाना नं०-133, थाना-सीतामढ़ी, अंचल- परिहार, जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् रून्नीसैदपुर से बिसवा राज्य उच्च पथ सं०-८७के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त -मसहा, थाना नं०-133, थाना-सीतामढ़ी, अंचल- परिहार, जिला-सीतामढ़ी के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश 0.423 हेक्टेयर के बराबर होता है, सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

अर्जनाधीन अंश खेसरा संख्या- 1928अंश, 1927अंश, 1926अंश, 1925अंश, 1933अंश, 1934अंश, 1935पूर्ण 1936अंश, 1938अंश, 1939अंश, 1960अंश, 1964अंश, 1998अंश, 1999अंश, 2000अंश, 2001अंश, 2014अंश, 1741अंश, 1742अंश, 1743अंश, 1744अंश, 1748अंश, 1865अंश, 1864पूर्ण, 1885अंश, 1891अंश, 1892अंश, 1917अंश, 1918अंश, 1922अंश, एवं 1923 का अंश रकबा

चौहद्दी

उत्तर - रोड पीपरा कोईरिया

दक्षिण - रोड सिसवाटिया

पूरुब - खेसरा नं० 365, 1885, 1891, 1892, 1898, 1917, 1918, 1922 एवं 1923 का अंश

पश्चिम - खेसरा नं० 1928, 1927, 1926, 1925, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1960, 1964, 1998, 1999, 2000, 2001, 2014, 1741, 1742, 1743, 1744 एवं 1748 का अंश

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन (यथा बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 संशोधित अधिनियम 1984) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो।


भूमि का नक्शा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार भूमि अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय उपमहाप्रबंधक (तक०), बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पी०आर०ई०यू०-३, हाजीपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ए०।-

सरकार के अवर सचिव

  
समाहर्ता  
सीतामढ़ी

ज्ञापक-...../ डी० एल० ए०, सीतामढ़ी-.....-75/रा०,पटना, दिनांक-10-01-13


प्रतिलिपि- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सी०डी० के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी की अधिसूचना की दो प्रतियों सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
समाहर्ता  
सीतामढ़ी

  
सरकार के अवर सचिव  
CK